



2026:AHC:27318

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1708 / 2026

नीरज कुमार मिश्रा

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	शैलजा कांत त्रिपाठी
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- रिट-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलजा कांत त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
- रिट-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. त्रिपाठी ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि रिट-याचिकाकर्ता संख्या 5, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 23, 27, 32, 33, 34, 37 से 47 के संबंध में इस रिट याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया जाए, ताकि वे उचित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर कर सकें। उनके लिए यह याचिका नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।
- रिट-याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे पुलिस विभाग में तैनात हैं और राज्य आपदा मोचन बल, लखनऊ में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, वे वर्ष 2017 से 2022 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश यात्रा भत्ता नियमावली के तहत भत्ता के हकदार हैं।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ताओं के दावों पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
- न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 27.02.2026 तक प्रतिवादी संख्या 5 के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 5 उसके पश्चात तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावों पर निर्णय लेंगे।
- आज न्यायालय में दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और उन्हें 'परिशिष्ट-ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।
- निर्देशों की एक प्रति रिट-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को प्रदान की जाए।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एसएफएच

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"